भारतीय दण्ड प्रकिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश

विभिन्न माध्यमों से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि जिला जीन्द के बहुत क्षेत्रों मे किसानों ने वन्य जीव एवं अन्य बेसहारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए अपने खेतों के चारों ओर कांटेदार तार/ब्लेड लगी जाली लगा रखी है। जिससे इन क्षेत्रो मे आवारा पशु तथा वन्य जीव बुरी तरह घायल हो जाते है। इन खतरनाक धारदार ब्लेडनुमा/रेजर तारों से न केवल जीवों के घायल होकर मरने का खतरा है अपितु लेकिन ये तार मनुष्य जीवन के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। अतः ऐसी स्थिति में निवारक कदम उठाए जाने अनिवार्य हैं ताकि वन्य जीव एवं अन्य बेसहारा पशु को क्षति से बचाया जा सके।

उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अमित खत्री, भा०प्र०से०, जिलाधीश, जीन्द तुरन्त प्रभाव से समस्त जिला जीन्द मे खेतों मे धारदार ब्लेडनुमा तार /ब्लेड वाली लगाने पर प्रतिबन्ध लगाता हूँ तथा कांटेदार तार /ब्लेड जाली कटवाने का निर्देश देता हूँ। यह आदेश दिनांक 30/5/17 से 29/11/17 तक लागू रहेंगें।

इन आदेशों को जिला जीन्द मे ढोल बजाकर जिला लोक सम्पर्क विभाग की वैन/जीप द्वारा मुनादी तथा विभिन्न भाषाओं के सभी समाचार पत्रों मे प्रैस नोट द्वारा उपमण्डल, तहसील, नगर निगम, खण्ड कार्यालय के सूचना पट्टो, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, पंचायत घरो तथा पुलिस स्टेशन के सूचना पटो पर इन आदेशों की प्रतियां चस्पा की जावे।

उपरोक्त आदेशो की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं Wildlife Protection Act, 1972 and Prevention of Cruelty to Animals Act,1960 के तहत दण्ड का भागी होगा।

आदेश आज दिनांक 29/5/17 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर द्वारा जारी किये गये।

जिलाधीश, जीन्द।

पृ० क्रमांक 4972-5072 /एम०ए०   दिनांक 30-5-17

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवष्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:-

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार गृह विभाग चण्डीगढ़।
3. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा पंचकुला।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तचर विभाग हरियाणा पंचकुला।
5. आयुक्त हिसार मण्डल, हिसार।
6. पुलिस महानिरिक्षक हिसार मण्डल, हिसार।
7. निदेशक, कृषि विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
8. हरियाणा में सभी जिला मैजिस्ट्रेट।
9. जिला एव सत्र न्यायधीश जीन्द।
10. अतिरिक्त उपायुक्त जीन्द।
11. पुलिस अधीक्षक जीन्द।
12. उप-मण्डल अधिकारी (ना0) जीन्द/नरवाना/सफीदो।
13. जिला राजस्व अधिकारी/जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जीन्द।
14. जिले के समस्त तहसीलदार /उप तहसीलदार।
15. जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी जीन्द।
16. जिला के सभी कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगरपालिका/नगरपरिषद।
17. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जीन्द को जिला जीन्द की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतू।
18. उप निदेशक, कृषि, जीन्द।
19. जिला वन मण्डल अधिकारी, जीन्द।
20. स्टैनो टू उपायुक्त/नगराधीश, जीन्द।

R 396
3/6/17

जिलाधीश, जीन्द।